

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 157 /2024 दिनांक : 16.07.2024

श्रीमती करुणा शर्मा (RJ00766), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला, जोधपुर को दिनांक 18.07.2024 से 03.08.2024 तक 17 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 17.07.2024 एवं 04.08.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला, जोधपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला, जोधपुर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से,



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2 (4)/49/2013/ 5845

दिनांक : 16.07.2024

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर को उनके पत्रांक 2061 दिनांक 01.07.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती करुणा शर्मा (RJ00766), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला, जोधपुर।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला, जोधपुर।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला, जोधपुर।


16/7/2024
सहायक रजिस्ट्रार